Note # 1

Online proposal no:-FP/UK/ROAD/19132/2016
File No.:- 8B/UCP/06/78/2017/FC

विषय:जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दिवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

The in-priniciple approval was granted by this office on16.04.2019 . Afterward, it was proceeded for the final approval.

In this connection, the Compliance Report prepared is as follows:

उपरोक्त प्रस्ताव मे इस कार्यालय द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या राज्य सरकार के पत्र दिनाँक 06.05.2026 द्वारा हार्ड प्रति के माध्यम से प्रेषित की गई जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर दिनाँक 12.05.2026 को अपलोड किया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अनुपालना आख्या से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई है।

S. N	Category/Head	Amount to be Paid (in Rs.)	Amount Paid (in Rs.)
1	CA	9,75,328	10,72,859
2	NPV	17,59,117.5	17,59,118

राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अनुपालना आख्या:-

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्ते	राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अनुपालना आख्या

1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के चदले 3.50 है० ग्राम जसपुर एवं गाण्डियासारी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जगा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे धन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.50 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू0 1072859.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में कर दी गयी है। एवं जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पत्रांक-70501/ ग्यारह-03 (2022-23) दिनांक-30.06.2023 के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया गया है। (संलग्नक-01)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनाक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 14975000 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी। है। (संलग्नक-02)
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनवद्धता प्रस्तुत करेंगें कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जगा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का। प्रमाण पत्र दिया गया है कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम । न्यायलय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग कि पक्ष में कर दिया जायेगा। (संलग्नक-03)

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य गाध्यमों से जगा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वांछित धनराशि - NEFT/RTGS चालान के माध्यम से CORPORATION -BANK, LODHI COMPLEX, BRANCH, BLOCK-11. GGO COMPLEX, PHESE-1, LODHI ROAD संख्या-150896119182289 में रू0 2222609.00 जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-02 के अनुसार)
5	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जोयगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया गया है, कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वांछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रमाण पत्र को पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन कर दिया गया है। (संलग्नक-04)

राज्य सरकार द्वारा प्रेषित अनुपालना आख्या मे पाई गई कामिया: -

1. अनुपालना आख्या 5 वर्षों के पश्चात प्रेषित की गयी है।
2. **CA** स्थल की **KML file PARIVESH** पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है।

प्रस्ताव आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

26/05/2026 11:01 am

शाहनाज़ बानो|**SHAHNAZ BANO**
परामर्शदाता|**CONSULTANT**

Note # 2

kindly see above notes.
In this proposal:

1. Stage-I issued on 16.04.2019.
2. Compliance report received/uploaded on 06.05.2026.
3. CA and NPV deposited on 22.05.2020 and 26.07.2024.

4. CA land has been transferred and mutated in favour of SFD.
5. NPV amount has deposited as per revised rate.
6. FRA certificate has been submitted.

The KML file of CA area is also uploaded on Parivesh Portal.

After examination of the compliance report and KML file of road, it is observed that all conditions are complied.

Submitted for perusal and direction, please.

26/05/2026 04:47 pm

हरे राम कुमार|**HARE RAM KUMAR**
तकनीकी अधिकारी|**TECHNICAL OFFICER**

Note # 3

As all Stage I compliances has been received, Stage II approval may be given in the proposal.
Submitted for approval.

26/05/2026 06:44 pm

नीलिमा शाह|**NEELIMA SHAH**
सहायक वन महानिरीक्षक|**ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF FORESTS**

Note # 4

अवलोकन किया । अनुमोदित। कृपया अपने स्तर से Stage-II/ विधिवत स्वीकृति जारी करें ।

27/05/2026 11:06 am

सत्य प्रकाश नेगी|**SATYA PRAKASH NEGI**
उप महानिदेशक|**DEPUTY DIRECTOR GENERAL**

Note # 5

Put up Stage II approval letter.

27/05/2026 06:14 pm

नीलिमा शाह|**NEELIMA SHAH**
सहायक वन महानिरीक्षक|**ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF FORESTS**

Note # 6

28/05/2026 06:28 pm

हरे राम कुमार|**HARE RAM KUMAR**
तकनीकी अधिकारी|**TECHNICAL OFFICER**

Note # 7

Draft Stage-II letter is put up at**DFA/429017** for your kind perusal/approval.

02/06/2026 11:28 am

शाहनाज़ बानो|**SHAHNAZ BANO**
परामर्शदाता|**CONSULTANT**

Note # 8

Draft Stage-II submitted for approval, please.

04/06/2026 03:44 pm

हरे राम कुमार|**HARE RAM KUMAR**
तकनीकी अधिकारी|**TECHNICAL OFFICER**

Note # 9

04/06/2026 03:55 pm

नीलिमा शाह|**NEELIMA SHAH**
सहायक वन महानिरीक्षक|**ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF FORESTS**

Note # 10

04/06/2026 03:59 pm

हरे राम कुमार|**HARE RAM KUMAR**
तकनीकी अधिकारी|**TECHNICAL OFFICER**